



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.- 30112023-250334  
CG-DL-E-30112023-250334

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 688]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 30, 2023/अग्रहायण 9, 1945

No. 688]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 30, 2023/AGRAHAYANA 9, 1945

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2023

संख्या 40/2023-केंद्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 871(अ).—केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 18/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 19 जुलाई, 2022, जिसे संख्या सा.का.नि. 584 (अ), दिनांक 19 जुलाई, 2022, में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रमांक 1 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "रु. 5000 प्रति टन" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 01 दिसंबर, 2023 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/15/2022-टीआरयू]

अमृता टाइटस, उप सचिव

**नोट:-** मुख्य अधिसूचना संख्या 18/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 19 जुलाई, 2022, जिसे सा.का.नि. संख्या 584 (अ), दिनांक 19 जुलाई, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 38/2023- केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 15 नवंबर, 2023, द्वारा संशोधित की गई थी, जिसे सा.का.नि. संख्या 836(अ), दिनांक 15 नवंबर, 2023, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th November, 2023

**No. 40/2023-Central Excise**

**G.S.R. 871(E).**— In exercise of the powers conferred by section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 18/2022-Central Excise, dated the 19<sup>th</sup> July, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 584 (E), dated the 19<sup>th</sup> July, 2022, namely:-

In the said notification, in the Table, against S. No. 1, for the entry in column (4), the entry “Rs. 5000 per tonne” shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 01<sup>st</sup> day of December, 2023.

[F. No. 354/15/2022-TRU]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

**Note:** - The principal notification No. 18/2022-Central Excise, dated the 19<sup>th</sup> July, 2022 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 584 (E), dated the 19<sup>th</sup> July, 2022, and was last amended *vide* notification No. 38/2023-Central Excise, dated the 15<sup>th</sup> November, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.836(E), dated the 15<sup>th</sup> November, 2023.